घर पर सीमेंट गिरा तो पिता-पुत्र ने पड़ोसी पर ठोका फायर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 9 सितम्बर. प्लास्टर करने के दौरान कुछ सीमेंट पास में स्थित घर पर गिरने से बौखलाए पिता ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर लायसेंसी बंदूक से पड़ोसी पर फायरिंग कर दी, जिसने छुपकर अपनी जान बचाई। घटना गोला का मंदिर इलाके की है, जिसमें पीड़ित की शिकायत पर पुलिस द्वारा आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

गोला का मंदिर थाना क्षेत्रांतर्गत कुंज विहार निवासी मनोज सिंह भदौरिया विगत शाम अपने घर के बाहर प्लास्टर करवा रहे थे। तभी प्लास्टर का कुछ हिस्सा पड़ोस में रहने वाले संजय कौरव के घर पर जा गिरा। इससे संजय इतना आक्रोशित हो गया, कि वह अपने दोनों बेटों अंकित कौरव और उदय कौरव को साथ लेकर मनोज के घर झगड़ने के लिए पहुंच गया। जहां दोनों पक्षों के बीच हुई कहा- सुनी से बौखलाकर संजय घर आया और अपनी लायसेंसी बंदूक निकालकर मनोज के घर को टारगेट करते हुए फायरिंग कर दी। यह देख मनोज ने छुपकर जैसे-तैसे अपनी जान बचाई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के अन्य लोग भी घरों से बाहर निकल आए, जिन्होंने समझा-बुझाकर दोनों पक्षों को शांत किया। उस वक्त तो मामला शांत हो गया, लेकिन इसके बाद भी संजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जो बात बात पर मनोज को गाली गलौज करते हुए धमकाने लगा। इससे तंग आकर बीते रोज उसने थाने पहुंचकर शिकायत की। जहां पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल तीनों आरोपी फरार बताए गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

प्लास्टर गिरने पर हुए विवाद एवं संजय व उसके बेटों द्वारा किए जा रहे झगड़े एवं फायरिंग की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फरियादी ने पुलिस को भी घटना से जुड़ा फुटेज सौंप दिया है। जिसके आधार पर ही पुलिस ने वारदात के चार दिन बाद की गई शिकायत में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

नशे में चला रहे थे वाहन, छह का कट गया चालान

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 9 सितंबर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले अब सावधान रहें, क्योंकि पुलिस ने विशेष अभियान की शुरुआत की है। कम्पू यातायात थाना प्रभारी धनंजय शर्मा द्वारा अभियान के पहले ही दिन 375 ऐसे वाहन चालकों को पकड़कर जुर्माना वसूला गया जो ट्रैफिक नियमों को हवा में उड़ाए घूम रहे थे। इनमें 6 शराब पीकर वाहन चलाने वाले, पांच नाबालिग तथा 4 ओवर स्पीड में वाहन चलाने वाले शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस ने नियमों की धज्जियां उड़ा रहे वाहन चालकों से पहले दिन करीब 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है। सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्युदर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसे सुधारने की आवश्यकता महसूस की गई और सरकार ने 15 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए।

इस अभियान में कार्रवाई के लिए पुलिस ने क्राइट एरिया तय किया है। इसमें तेज स्पीड, बिना हेलमेट, बगैर सीट बेल्ट, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड वाहन चलाना तथा बगैर दस्तावेजों के वाहन घर से लेकर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी।

यातायात पुलिस अभियान की शुरुआत करते हुए शहर भर के चौराहे-तिराहों पर उतरीं। इस दौरान 6 वाहन चालक नशे में, 5 नाबालिग, 4 वाहन चालक तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े। इसके अलावा मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने वाले 10 पकड़ में आए, हेलमेट 203 के सिर पर नहीं था तो 41 लोग बिना सीट बेल्ट के ही कार दौड़ा रहे थे। 50 ऐसे दबोचे गए जो रॉन्ग साइड घुसकर यातायात को प्रभावित कर रहे थे। यातायात नियम तोड़ते हुए पहले दिन कुल 375 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान काटा गया और इनसे करीब 1 लाख 40 हजार रुपए वसूले गए। कार्यवाही के दौरान थाना यातायात प्रभारी कृष्णपाल तोमर, थाना यातायात कंपू थाना प्रभारी धनंजय शर्मा, थाना यातायात प्रभारी, अभिषेक रघुवंशी, सूबेदार राधाबल्लभ गुर्जर, सूबेदार प्रबल सिंह यादव एवं यातायात के तीनों थानों से अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे ।

लायंस क्लब का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 9 सितंबर लायंस क्लब द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व शपथ ग्रहण अधिकारी (पीएमजेएफ) लायन सुनील अरोड़ा रहे। अरोड़ा वर्तमान में उनके अंडर 10 प्रांत काम कर रहे हैं वह पद अध्यक्ष पद है। पूर्व गवर्नर लाइन सुनील गोयल इंडक्शन अधिकारी नए मेंबरों को शपथ कराई । मैटोर लाइन गुरप्रीत कौर ने मंच का संचालन किया लेडीज क्लब की मेंटल लाइन डॉक्टर आशा माथुर ने अपना उद्बोधन दिया। पूर्व प्रांतीय सचिव राका पाठक पीआरओ लाइन प्रशांत जैन पूर्व आरसी एसके शर्मा

जी हिमेश दंडोतिया विवेक जैन अजय चोपड़ा जॉन चेयरपर्सन हेमलता दुबे प्रियंका जैन शशि प्रभा दुबे और वर्तमान जेड सी लाइन राकेश अग्रवाल उपस्थित रहे। संगीता तिवारी मधु खंडूजा लाइन पंडित जी मुरैना वाले अन्य क्लब से पधारे अतिथिगण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आर्यन क्लब के अध्यक्ष लाइन किरण सोनी सचिन लाइन नुपूर गोयल ट्रेसरार लाइन कल्पना जैन ने शपथ ली।

100 रुपए बने आनंद पाल की हत्या का कारण, पुलिस की जांच में उजागर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 9 सितंबर हीरा भूमिया मंदिर की सीढ़ियों पर हुई आनंद पाल की हत्या के मामले में पुलिस को सीसीटीवी में जो संदिग्ध नजर आया है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। रात का अंधेरा इसमें रुकावट बन कर सामने आया है। इसलिए पुलिस अब दूसरी जगहों के सीसीटीवी चेक करेगी। मामले में नई बात यह सामने आई है कि हत्या से पहले आनंद ने मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति से 100 रुपए मांगे थे जो उसने घर के अंदर से ही दिए। इससे वह व्यक्ति यह नहीं देख सका कि आनंद पाल के साथ कौन था। बता दें कि

बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की लक्ष्मण तलैया पर स्थित हीरा-भूमिया मंदिर की सीढ़ियों पर रविवार की आधी रात आनंद पाल की हत्या कर दी गई थी।

आनंद पाल 30 वर्ष पुत्र रामबरन पाल निवासी लक्ष्मण तलैया की घर से कुछ दूर हीरा-भूमिया मंदिर की सीढ़ियों पर रविवार की आधी रात को हत्या कर दी गई थी। युवक की हत्या की बात पता चलते ही सीएसपी कृष्णपाल सिंह व टीआई जीतेन्द्र सिंह तोमर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. अखिलेश भार्गव मौके पर पहुंचे और अपनी जांच शुरु की। जांच में पता चला कि मृतक आनंद पाल नशे का आदी था और आए दिन अपने घरवालों को परेशान करता था। इस पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे।

हत्या के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस का डॉग पानी की टंकी तक दौड़ा, फिर रुक गया, क्योंकि आवारा कुत्तों ने उसे घेर लिया था। पुलिस की जांच में आनंद पाल के साथ रात 12-20 बजे एक युवक नजर आया, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हत्या के इस मामले की जांच कर रहे एसआई रतिराम चोकोटिया ने बताया कि संदेहियों से पूछताछ की पर अभी तक कुछ हाथ नहीं आया है। जब तक साथ वाले युवक की पहचान नहीं होती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

चाकू से नहीं नुकीली चीज से पांच वार किए

आनंद पाल की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह खुलासा हुआ है कि उसकी हत्या में चाकू का नहीं बल्कि किसी नुकीली धारदार वस्तु का इस्तेमाल किया गया है। यह धारदार हथियार सरिया या कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि चाकू से हमला होने पर घाव गहरा होता है, लेकिन आनंद पाल के शरीर पर जो घाव मिले हैं वह गहरे नहीं हैं। इसके अलावा पांच से छह दफा वार करने की बात सामने आई है। पुलिस का यह भी मानना है कि हत्या में सिर्फ एक ही व्यक्ति शामिल है, जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है। हालांकि मृतक के घर वाले संदिग्ध को पहचान नहीं सके कि वह कौन है। मृतक आनंद पाल मोबाइल भी अपने पास नहीं रखता था, इससे पुलिस इसका भी पता नहीं कर पाई कि उसने आखिरी बार किससे बात की। है।

वायु प्रदूषण कम करने नागरिकों को किया जागरूक

नवभारत न्यूज

इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं स्वच्छ वायु दिवस पर नगर निगम ने निकाली ईवी रैली

ग्वालियर 9 सितंबर. स्वच्छ वायु दिवस कि तत्वावधान में बैजाताल से इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली निकाली गई। शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आमजन को वायु सुधार के प्रति जागरुक करने के लिए निकाली गई इस रैली को महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार और सभापति मनोज तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस मौके पर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने कहा कि शहरी क्षेत्र में प्राय: देखने में आ रहा है कि डीजल, पेट्रोल चलित वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु में कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड इत्यादि गैसों के घुलने के कारण शहरी वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है।

वायु सुधार की दृष्टि से शहरी सीमा के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जनमानस को जागरूक करने व अधिकतम इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी चलित वाहनों अथवा सार्वजनिक वाहनों से आवागमन करने के लिए प्रेरित के लिए यह रैली निकाली गई। इसमें जिला प्रशासन, नगर निगम, शैक्षणिक, पुलिस, परिवहन, वन व अन्य सीएनजी, ई-व्हीकल और सार्वजनिक वाहनों के उपयोग पर जोर शासकीय और अर्ध शासकीय विभागों ने भागीदारी की।

यह वाहन रैली बैजाताल से प्रारंभ होकर नदी गेट, जयेन्द्रगंज, पाटनकर बाजार, दौलतगंज, महाराज बाड़ा, सराफा बाजार, डीडवाना ओली, राम मंदिर, छप्पर वाला पुल, शिंदे की छावनी, फूलबाग चौराहा, लक्ष्मीबाई समाधि स्थल, पडाव न्यू ब्रिज, मोटल तानसेन और निगम मुख्यालय सिटी सेंटर होते हुए बाल भवन पहुंची, जहां इसका समापन हुआ।

सूर्या रोशनी लिमिटेड ने यातायात सुरक्षा की दिशा में उठाया एक और कदम

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 9 सितंबर. यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए सूर्या रोशनी लिमिटेड ने एक सराहनीय पहल की। कंपनी द्वारा मालनपुर पुलिस थाना इन्चार्ज बलवंत सिंह यादव एवं *महाराजपुरा पुलिस थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव को रेडियम युक्त बैरिकेड प्रदान किये गये, इससे पूर्व भी सूर्या रोशनी लिमिटेड द्वारा दंदरौआ धाम एवं शनिचरा धाम को भी बैरिकेड प्रदान किये गये है।

इस अवसर पर सूर्या कंपनी से मुकुल चतुर्वेदी (फैक्ट्री मैनेजर/जनरल मैनेजर - एचआरडी) एवं संजय प्रताप सिंह कुशवाह (सीनियर मैनेजर - लीगल) उपस्थित रहे।

इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, यातायात नियमों के पालन को प्रोत्साहित करना तथा पुलिस प्रशासन को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना है। पुलिस अधिकारियों ने सूर्या रोशनी लिमिटेड के इस सहयोग की सराहना करते हुए इसे समाज के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सूर्या रोशनी लिमिटेड का यह प्रयास न केवल सामाजिक जिम्मेदारी का परिचायक है, बल्कि सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने में भी मील का पत्थर साबित होगा। कंपनी ने भविष्य में भी ऐसी सामाजिक उपयोगिता की योजनाओं को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है।

आईटी ने 8 हजार की नौकरी करने वाले को भेजा 46 करोड़ का नोटिस

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 9 सितंबर. इनकम टैक्स ने ढाबा पर खाना बनाने वाले कुक को 46 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद कुक की हालत खराब है। नोटिस मिलने के बाद पीड़ित पुणे से नौकरी छोड़कर वापस घर आ गया है। उसका कहना है कि वह 8-10 हजार रुपये कमाता है। लेकिन उसके साथ पीएफ अकाउंट खुलवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर लिया है। जब उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी तो उसने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़ित रविंद्र सिंह चौहान का कहना है कि वह एक निजी होटल में खाना बनाता है। रविंद्र भिंड के रहने वाले हैं। इनके अकाउंट से 46 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। रवींद्र ने कहा कि मैं ढाबे पर हेल्पर का काम करता हूं। मेरे अकाउंट में साल के तीन लाख रुपये का भी लेन-देन नहीं हुआ। ऐसे में करोड़ों रुपये का नोटिस कैसे आ गया। वकील की मदद से एक महीने से ज्यादा समय तक पड़ताल की।

पड़ताल में पता चला कि 7 साल पहले एक टोल कंपनी में काम के दौरान वहां के सुपरवाइजर ने दिल्ली में एक अकाउंट खुलवाया था। इसीसे पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। उसने खाता बंद करवाने की बात भी कही लेकिन कोई और उसका उपयोग करता रहा। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में भी की है।

दरअसल रोजी-रोटी की तलाश में पुणे पहुंचा रविंद्र सिंह चौहान एक कंपनी में काम करने लगा। 9 अप्रैल को घर पर एक कागज आया, जो अंग्रेजी में था। घर पर पत्नी और बच्चे थे। न मैं ज्यादा पढ़ा-लिखा हूं न पत्नी। हमारे समझ में तो कुछ आया नहीं। इसलिए हम बात को भूल गए। 25 जुलाई को फिर से उसी प्रकार का कागज आया। परिवार ने फोन पर इसकी जानकारी दी। मुझे लगा, आखिर यह क्या है और बार-बार क्यों आ रहा है। एक बार घर जाकर पता करता हूं। मैं पुणे से वापस घर लौट आया तब पूरा माजरा पता चला।

कार्य में लापरवाही बरती, ठेकेदार पर 86 हजार का जुर्माना

ग्वालियर 9 सितंबर. मोटर पम्प संधारण कार्य में लापरवाही करने एवं बिना सूचना दिए मोटर पम्प सुधार कार्य बंद करने के कारण मैसर्स लेटिस इंडस्ट्रीज लि. प्लॉट न. 16 जीआरडीसी स्टेट फेस-1,2 नरोदा, स्थानीय कार्यालय पटेल नगर ग्वालियर पर 86000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। सहायक यंत्री जल प्रदाय उपखण्ड क्रमांक 03 केसी अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार मैसर्स लेटिस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा मोटर पम्प संधारण कार्य वार्ड क्रमांक 24,28,29,30,60 में कार्य किया जा रहा है। बिना सूचना दिए मोटर पम्प का संधारण कार्य बंद करने के कारण आम नागरिकों को जल सुलभ नहीं हो पा रहा है, जिस कारण मोटर पम्प विलम्ब से मरम्मत करने के कारण 36000 रूपये एवं बिना पूर्व सूचना दिए नलकूपों की मोटर पम्प का मरम्मत काय बंद करने के कारण अतिरिक्त आर्थिक दण्ड 50000 रूपये अधिरोपित किया जाकर कुल 86000 रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया।

बीज विक्रेता का पंजीयन निरस्त

ग्वालियर 9 सितम्बर. जिले में किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे खाद, बीज की गुणवत्ता की जाँच विभाग द्वारा निरंतर की जा रही है। बीज निरीक्षक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड डबरा द्वारा मैसर्स अनाविया एग्रोटेक कंपनी पिछोर, प्रोपराइटर मोहम्मद अहमद अंसारी से धान, बीज किस्म पीबी-1509सी/एस का नमूना लिया जाकर प्रयोगशाला को भेजा गया था। प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट में नमूना अमानक पाए जाने से विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार मैसर्स अनाविया एग्रोटेक कंपनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में दिए गए उत्तर को समाधान कारक न होने से व उनके द्वारा बीज अधिनियम 1986 की धारा, बीज निगम 1968 के नियम के तहत बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों के उल्लंघन में कारोबार पाए जाने से फर्म को जारी बीज विक्रय पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र
टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान

राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम 2025-2026

खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जूनियर विज्ञान में

इस कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक सभी छात्रों को 22 और 23 नवंबर, 2025 को भारतीय भौतिकी शिक्षक संघ (IAPT) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मानक परीक्षा (NSE) (विज्ञान विषयों के लिए) में शामिल होना होगा.

एनएसई में योग्यता प्राप्त करना 2026 के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने की दिशा में पहला कदम है.

नामांकन के लिए :

एनएसई- https://www.iapt.org.in (21 अगस्त - 14 सितंबर, 2025)

अधिक जानकारी के लिए- https://olympiads.hbcse.tifr.res.in

https://www.iapt.org.in

सीबीसी-48143/12/0007/2526

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking — सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

क्षेत्रीय कार्यालय: प्रथमतल सांई बाबा कॉम्पलेक्स, जीडीए बिल्डिंग के पास, फूलबाग, ग्वालियर फोन: 0751-2423126

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरकर्ता केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणधारी को निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज राशि एवं सहित नोटिस प्राप्ति के 60 दिन की समय अवधि के भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था ऋणी निर्धारित समय सीमा में ऋण का भुगतान करने में असफल रहा है। अत: ऋणी/जमानतदार एवं सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियम (8 एवं 9) के अंतर्गत नीचे वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। ऋणग्रहीता को विशिष्टयता और सर्वसाधारण को सामान्यत: एतद् द्वारा निम्नलिखित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिए केनरा बैंक की संबंधित शाखा के अधीन होगा। ऋणी एवं जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (**Redeem** कराने) के संबंध में अधिनियम की धारा (8) के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है।

ऋणी एवं संपत्ति मालिक/जमानतदार का नाम	नोटिस के अनुसार राशि	बंधक रखी संपत्ति का विवरण
शाखा : केनरा बैंक, एसएमई शाखा Ph. 63545-00595, E-mail : cb3910@canarabank.com		
ऋणी- मैसर्स सोनू मोबाइल **मालिक - निहाल बेग पुत्र श्री भैया बेग** पता : दुकान नम्बर-07, बी.एल. प्लाजा, टोपी बाजार, ग्वालियर गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.) **मालिक / बंधककर्ता - श्री निहाल बेग पुत्र श्री भैया बेग** पता : निवासी विष्णु कॉलोनी, अजयपुर, ग्वालियर गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.)	**₹ 11,52,445.69/-** + ब्याज एवं अन्य खर्चे-वसूली **मांग नोटिस दिनांक 01-07-2025** **कब्जा दिनांक 08-09-2025**	**संपत्ति स्वामी- श्री निहाल बेग पुत्र भैया बेग -** व्यावसायिक दुकान के ईएमटी, जिसका क्षेत्रफल 9.21 वर्ग मीटर है, दुकान क्रमांक 302 बी, तृतीय तल, कृष्णा मॉल, कम्पू रोड, लश्कर, ग्वालियर, वार्ड क्रमांक 50, जिला ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में स्थित है। **चतुर-सीमा : पूर्व :** दुकान क्रमांक 321 बी, **पश्चिम :** दुकान क्रमांक 301 बी, **उत्तर :** सामान्य मार्ग, **दक्षिण :** दुकान क्रमांक 302 सी।

स्थान : ग्वालियर | दिनांक : 10-09-2025 | प्राधिकृत अधिकारी कैनरा बैंक

कार्यालय, आयुक्त नगर पालिक निगम, ग्वालियर

क्रमांक/106/25/2/10/कम्प्यू/2025 ग्वालियर दिनांक 09 .09.2025

Ro. क्र. 586 दि. 09.09.25

निविदा विज्ञप्ति

नगर निगम ग्वालियर द्वारा "नवीन प्रशासनिक भवन के मीटिंग हॉल हेतु नवीन माईक सिस्टम स्थापित" करने से संबंधित की राशि 3,00,000/- (कर सहित) की जने से संबंधित निविदा विज्ञप्ति की शर्तें निविदा ई-टेण्डर के पोर्टल www.mptenders.gov.in ऑनलाईन टेण्डर क्र. 2025_UAD_449851_1 दिनांक 08.09.2025 से 23.09.2025 तक निविदा आमंत्रित की जाती है। इस संबंध में ऑनलाईन से निविदा देखी जा सकती है।

नोडल अधिकारी
कम्प्यूटराईजेशन
नगर निगम ग्वालियर

09/09/2025 को जारी परिशिष्ट का शुद्धिपत्र
26/07/2025 को प्रकाशित फॉर्म G और 26/08/2025 के परिशिष्ट में EOI जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए
जेपी सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CIRP के अंतर्गत)

यह सूचना जेपी सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CIRP के संबंध में बिजनेस स्टैंडर्ड, अमर उजाला, कन्नड़ प्रभा और नवभारत समाचार पत्रों में 26/07/2025 को प्रकाशित फॉर्म G से संबंधित है। प्रारंभ में, रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) जमा करने की अंतिम तिथि 25/08/2025 निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में ऋणदाताओं की समिति (CoC) के अनुमोदन से 08/09/2025 तक बढ़ा दिया गया था। उक्त समय-सीमा को 26.08.2025 के परिशिष्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद, COC के अनुमोदन से, उपरोक्त समाचार पत्रों में दिनांक 09/09/2025 के प्रकाशन के माध्यम से EOI जमा करने की अंतिम तिथि 15/09/2025 तक बढ़ा दी गई।

यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉर्पोरेट देनदार के लिए 180 दिनों की CIRP अवधि 09.11.2025 को समाप्त हो जाएगी। इसलिए, समाधान योजना जमा करने की अंतिम तिथि, अर्थात 14.11.2025 (09.11.2025 के बाद), NCLT, इलाहाबाद द्वारा दी गई CIRP अवधि के उचित विस्तार के अधीन होगी।

कृपया ध्यान दें कि इस शुद्धिपत्र को 09/09/2025 को जारी परिशिष्ट के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

CMA दीपिका भुग्रा प्रसाद
समाधान पेशेवर
जेपी सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दिनांक: 10-09-2025 — पंजीकरण क्रमांक: IBBI/IPA-003/IP-N000110/2017-2018/11186
स्थान: दिल्ली — ईमेल: Jaypecement.circp@gmail.com

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

आर-23, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के पास, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल-462011
दूरभाष : 0755-2552663, 2552662, ई-मेल : bocboard@mp.gov.in

निविदा सूचना

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल कार्यालय हेतु कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर (ऑल इन वन कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप, टैबलेट एवं यू.पी.एस.) आदि सामग्री क्रय करने हेतु पंजीकृत फर्मों से ई-निविदा प्रास्तव ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **https://mptenders.gov.in** के माध्यम से दिनांक **09.09.2025 को दोपहर 03:00 बजे से दिनांक 22.09.2025 की शाम 05:00 बजे तक** आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त निविदा प्रस्ताव दिनांक 23.09.2025 को दोपहर 12:00 बजे खोले जायेंगे। ई-निविदा की Tender ID-2025_MPBCW_450239_1 एवं Tender Reference Number-MPBOc/Ten./03/09/2025/2031, द्वारा विवरण, प्रपत्र एवं शर्तें **https://mptenders.gov.in** पोर्टल पर उपलब्ध है।

म.प्र. माध्यम/121979/2025 — **सहायक सचिव**

M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN COMPANY LTD.
(Government of M.P. Undertaking)
Office of Dy. General Manager (STC) City Division, Gwalior, E-mail : eestcgwalior@gmail.com

NOTICE INVITING E-TENDERS

Online e-tender are invited from eligible bidders, electrical contractors who are registered under relevant category through "QC" portal of MPMKVVCL for following electrical works.

Tender Specification	Name of Work & Services Contract	Approx. Value (In Lakh)	Tender Document Fee (In Rs.)
DGM/STC/CITY/25-26/2826 GWALIOR DT.- 04.09.2025	Bifurcation of 11 kv G Sector feeder under HTM div city circle Gwalior	3.30	590/-
DGM/STC/CITY/25-26/2835 GWALIOR DT.- 04.09.2025	Providing 11 kg central park feeder with covered conductor under htm division city circle Gwalior	0.88	236/-
DGM/STC/CITY/25-26/2823 GWALIOR DT.- 04.09.2025	PTR augmentation from 8MVA at darpan colony sub-station under htm division city circle Gwalior	3.93	590/-
DGM/STC/CITY/25-26/2817 GWALIOR DT.- 04.09.2025	Taking 33kv monopole (of EHV phoolbag) from DRDO gate to the 33/11 kv stadium sub tation under HTM division city circle Gwalior	1.97	236/-
DGM/STC/CITY/25-26/2829 GWALIOR DT.- 04.09.2025	Bifurcation of 11 kv janak ganj feeder under HTM div city circle Gwalior	4.43	590/-
DGM/STC/CITY/25-26/2832 GWALIOR DT.- 04.09.2025	Providing dog conductor on 11 kv Apaganj golphadiya s/s near santosh vatika under htm division city circle Gwalior	0.88	236/-
DGM/STC/CITY/25-26/2838 GWALIOR DT.- 04.09.2025	Interconnection of 33 kv city -2 and 33 kv hospital 2 for changeover hostpital departmental EFSU SSTD scheme proposal was said feeder under htm division city circle Gwalior	1.60	236/-
DGM/STC/CITY/25-26/2820 GWALIOR DT.- 04.09.2025	Bifurcation of 11 kv banshipura feeder under htm division city circle Gwalior	4.82	590/-

Date of sale of Bid documents:- 09.09.2025, 10.30 Hrs. Up to 22.09.2025, 13.00 Hrs.
Bid Submission last Date:- 22.09.2025 Up to 14.00 Hrs.
Bid opening Date:- 23.09.2025 at 15.00 Hrs.
Other details, terms and conditions are available on company **website : https://portal.mpcz.in** & **https://mptenders.gov.in** or the under signed office.
M.P. Madhyam/121965/2025 — **DGM (STC) CITY**

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिये मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा सिटी सेंटर, ग्वालियर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., सिटी सेंटर से मुद्रित. संपादक हरीश दुबे* समाचार संपादक- अनिल शर्मा, फोन-0751-4086200, फैक्स- 2343200 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार डाक पंजीयन क्रमांक 507/2008/ग्वा. RNI Reg. No. 62237/95